

कृषि विभाग, बिहार सरकार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2014-15

कार्यान्वयन अनुदेश

क्र०	कार्यक्रम क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण बिन्दु
1.	प्रत्यक्षण के सफलतापूर्वक आयोजन के लिये प्रत्यक्षण ग्राम/प्रत्यक्षण क्लस्टर/प्रत्यक्षण स्थल तथा लाभुक कृषक के चयन में कार्यान्वयन अनुदेश में निहित निदेश का बिना बदलाव के दृढ़ता से अनुपालन किया जाना।
2.	किसान सलाहकार के छोटे समूह (50-50) में कृषि तकनीक का प्रशिक्षण शिविर में तथा शिविर के पश्चात् अनुसूची-3 के ले-आउट के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
3.	कृषकों के छोटे समूह (50-50) में कृषि तकनीक का प्रशिक्षण शिविर में तथा शिविर के पश्चात् अनुसूची-3 के ले-आउट के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
4.	प्रत्यक्षण स्थल/प्रत्यक्षण ग्राम में प्रत्यक्षण क्षेत्र के साथ के अतिरिक्त गैर प्रत्यक्षण क्षेत्रों में तकनीक अपनाने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक होगा।
5.	प्रत्यक्षण क्षेत्रों तथा गैर प्रत्यक्षण क्षेत्रों में उत्पादन के दृष्टिगत कृषि तकनीकी प्रभाव को कृषकों को कृषि समन्वयक द्वारा अंतर समझाना आवश्यक होगा।
6.	प्रत्यक्षण क्षेत्रों एवं गैर प्रत्यक्षण क्षेत्रों में उत्पादन को कृषि समन्वयकके द्वारा अंतर को समझाना एवं अभिलेखित कराना।

- 1 **पृष्ठभूमि** : अन्तर्वर्तीय खेती सघन खेती का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लगाया जाता है। अन्तर्वर्तीय फसलों में एक खास दूरी रखते हैं। इस विधि में दो फसलों को अलग-अलग पंक्तियों में लगाते हैं। मक्का के साथ मटर/राजमा के खेती से दलहन का अतिरिक्त उपज प्राप्त होता है क्योंकि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन एक मुख्य सस्ता श्रोत है तथा विगत वर्षों में दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता स्थिर रही है, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दलहन का उपलब्धता कम हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि दलहन का रकवा एवं उत्पादकता में वृद्धि लायी जाय।

रबी मक्का बिहार में काफी अधिक रकवा में लगायी जा रही है। यदि मक्का के साथ दलहनी फसलें खासकर मटर/राजमा को अन्तर्वर्ती फसल के रूप में लिया जाय तो इसके अतिरिक्त दलहन को उपज प्राप्त होगा तथा भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी। जिससे किसानों के आर्थिक हाल में सुधार होगा। ऐसे कुछ क्षेत्रों में मक्का के साथ मटर/राजमा के अन्तर्वर्ती खेती कर फसल प्रणाली में बदलाव कर कुछ नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये पूर्व में भी अन्तर्वर्ती फसलों का प्रत्यक्षण किया गया था। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं तथा अन्तर्वर्ती फसलों को लगाने की प्रवृत्ति किसानों में बढ़ी है। इन क्षेत्रों में आगे भी इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है।

- 2 **कार्यशाला एवं तकनीकी प्रशिक्षण** : मक्का के साथ दलहनी फसलें खासकर मटर/राजमा को अन्तर्वर्ती फसल का क्षेत्रफल विस्तार हेतु प्रत्यक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिये राज्य स्तरीय कार्यशाला के आरंभ के साथ ही व्यापक जन-जागरण तथा प्रसार कार्यक्रम किया जायेगा। कार्यशाला में इस बात पर अधिक बल दिया जायेगा कि किस प्रकार मक्का के साथ मटर/राजमा की अन्तर्वर्ती फसल का अच्छादन कराया जायेगा।

2.1 **राज्य स्तरीय कार्यशाला** : कार्यक्रम को कारगर आयाम देने के लिये क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रसार कर्मियों के लिये राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

2.2 **जिला स्तरीय कार्यशाला** : जिला के प्रबुद्ध तथा प्रगतिशील कृषकों सहित किसान सलाहकार के साथ जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें मौसम के बदलते प्रभाव को कम करने के लिये किसानों को मक्का के साथ मटर/राजमा की अन्तर्वर्ती फसल की खेती के करने के संबंध में विशेष रूप से प्रेरित कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। कार्यशाला में 50-50 किसान सलाहकार के समूह को संबंधित कृषि समन्वयक के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2.3 **प्रखंड स्तरीय शिविर** : प्रखंड स्तरीय शिविर में चयनित कृषकों को 50-50 के समूह में मक्का के साथ मटर/राजमा की अन्तर्वर्ती फसल की खेती के तकनीकी का प्रशिक्षण कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार एवं प्रगतिशील किसानों के द्वारा दिया जायेगा।

